अध्याय–2

भारत के विकास की यात्रा (सन् 1985 से 2004 तक)

राजीव गाँधी

राजीव गाँधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को बम्बई में हुआ था। वे सिर्फ तीन वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके पिता फिरोज गाँधी सांसद बने और एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राणों की आहुती दी थी। लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे भारत की प्रधानमंत्री बनी थीं। अपनी माता के आकस्मिक निधन के बाद राजीव गांधी सन् 1984 से सन् 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।

स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री राजीव गाँधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे और जैसा कि वे बार–बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाये रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है– इक्कीसवीं सदी के भारत का निर्माण।

दुर्भाग्यवश 21 मई, 1991 को राजीव गाँधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया। श्रीपेरूम्बदूर (तमिलनाडु) में एक आतंकी धमाके में राजीव गाँधी की मृत्यु हो गई थी। प्रतिवर्ष राजीव गांधी के जन्मदिन, 20 अगस्त को देश में 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसे 'समरसता दिवस' तथा 'राजीव गाँधी अक्षय ऊर्जा दिवस' के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्त्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गाँधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिये अच्छी भावना रखना था। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिये यह दिवस मनाया जाता है। राजीव गाँधी के शब्दों में "भारत एक पुराना देश, पर एक युवा राष्ट्र है। युवा होने के नाते हमारे अंदर अधीरता है। मैं जवान हूँ और मेरा एक सपना है। मैं भारत

को शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मानवता की सेवा में दूसरे देशों की तुलना में सबसे अग्रणी देखना चाहता हूँ।'' राजीव गाँधी ने जहाँ लाइसेंस राज के प्रभाव को कम किया, वहीं आर्थिक नीतियों में सुधार किया तथा अमेरिका और सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। राजीव गाँधी को भारत में संचार क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके प्रधानमंत्रीकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनमें से कतिपय यहाँ उल्लिखित हैं:–

चुनाव सुधार– राजनीतिक शुचिता

दल–बदल विरोधी कानून–

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, लेकिन देश की आजादी के कुछ वर्षों बाद ही पार्टियों को मिलने वाले जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। सांसदों एवं विधायकों के दल–बदल से सरकारें बनने एवं गिरने लगीं। इससे राजनीतिक संस्थाओं में अस्थिरता पैदा हो गई। सांसदों एवं विधायकों में दल–बदल की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई। अतः इस स्थिति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

राजीव गांधी सरकार ने राजनीतिक जीवन में शुचिता स्थापित करने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल–बदल के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान कर संविधान में एक नई अनुसूची (10वीं अनुसूची) जोड़ी। इस अधिनियम को दल–बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अधिनियम के तहत् किसी सदन के सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदस्य को सदन की सदस्यता के निरर्हक (अयोग्य) माना जाएगा, यदि–

- वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- वह उस सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मत देता है।
- वह अपनी पार्टी के निर्देशों के बावजूद मतदान से अनुपस्थित रहता है।
- कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है।
- छः महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

इस दल–बदल विरोधी कानून की रूपरेखा राजनीतिक दल–बदल के दुष्प्रभाव, जो कि पद के लालच या भौतिक पदार्थों के प्रलोभन या इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होता है, पर रोक लगाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धान्तिक और अनैतिक दल–बदल पर रोक लगाना है। राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला साहसिक कदम बताया था। उनके विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता को परखना हो, तो 52वें संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एकमत से स्वीकृत होना ही इसका प्रमाण है।

यह दल–बदल विरोधी कानून सांसदों एवं विधायकों की दल–बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्थाओं में उच्च स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कानून से राजनीतिक स्तर पर शुचिता स्थापित करने में मदद मिली है तथा इसे विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान प्राप्त हुई है।

मताधिकार की आयु सीमा में कमी (युवा शक्ति की ताकत)–

देश में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष थी मगर युवा प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। सन् 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई जिससे करोड़ों युवा अपनी पसंद के सांसद, विधायक से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करता जा रहा है तथा इसमें गुणात्मकता एवं मात्रात्मकता दोनों बढ़ती जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1986

भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जायेगी। शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई तथा जो भी सुझाव एवं विचार प्राप्त हुए, उन पर काफी चिंतन–मनन हुआ और अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 की घोषणा हुई। इस नीति में शिक्षा के अर्थ और उसकी भूमिका को प्रतिपादित किया गया।

शिक्षा का अर्थ और उसकी भूमिका–

हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में "सबके लिए शिक्षा" हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना पनपती है, वैज्ञानिक तरीके से अमल की सम्भावना बढ़ती है और समझ एवं चिंतन में स्वतंत्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को सम्बल मिलता है, जो राष्ट्रीय आत्म–निर्भरता की आधारशिला है। कुल मिलाकर, यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है।

आज भारत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परम्परागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ–साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा नैतिक मूल्यों के क्षरण की दशायें उत्पन्न हो रही हैं। देहात में रोजमर्रा की सहूलियतों के अभाव में पढ़े–लिखे युवक गाँवों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए गाँव और शहर के फर्क को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बड़ी जरूरत है। आने वाले दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर पर और अंकुश लगाना होगा। इस समस्या को हल करने में जो सबसे अहम उपाय कारगर साबित हो सकता है, वह है महिलाओं का साक्षर और शिक्षित होना। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे नए विचारों को सतत् सृजनशीलता के साथ आत्मसात कर सकें। उन पीढ़ियों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रतिष्ठित करनी होगी। यह सब अच्छी शिक्षा से ही सम्भव है। अतएव इन नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं का तकाजा है कि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूलमंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को, बिना किसी जात–पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के, लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाईचारे के लिये सदा प्रयत्न किया है और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्शों को संजोया है। इस परम्परा के अनुसार शिक्षा–व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो

तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बढ़े। नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा को रोजगारोन्मुख भी बनाना था। आजादी के बाद इस ओर कई मजबूत कदम उठाए गए। राज्यों ने अपने यहाँ सरकारी, गैर सरकारी और स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाएं खोलीं। राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों के बच्चों की अध्ययन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1961 में सैनिक विद्यालय और वर्ष 1962 में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की श्रृंखला प्रारम्भ की।

वर्ष 1976 का 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था। उसमें यह निहित है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस महत्त्वपूर्ण मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो।

शिक्षा नीति (1986 – 1996)

नागरिकों की योग्यता को राष्ट्रीय विकास में भरपूर उपयोगी बनाया जा सके, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए इसका नाम भी परिवर्तित किया। 25 सितम्बर, 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नया नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) रखा।

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जायेगा, जिससे वे गैर–अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। स्कूल भवनों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के साधनों का उपयोग किया जाएगा।

अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएँ खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ी तादाद में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। आंगनवाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी–बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। पढ़े–लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और आयाम को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया।

शिक्षा का पुनर्गठन–

शिशुओं की देखभाल और प्रारम्भिक शिक्षा– बच्चों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाये, विशेषकर ऐसे तबकों पर, जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसे जहाँ भी सम्भव हो, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केन्द्र पूरी तरह 'बाल–केन्द्रित' होंगे। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा।

बाल–केन्द्रित दृष्टिकोण– प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल–केन्द्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। प्राथमिकता स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में अनुत्तीण न करने की प्रथा जारी रखी जाएगी। बच्चों का मूल्याँकन वर्ष भर में फैला दिया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दण्ड को सर्वथा हटा दिया जाएगा।

विद्यालय में सुविधाएँ– प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और

अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका सांकेतिक नाम "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" होगा।

अनौपचारिक शिक्षा– ऐसे बच्चे, जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं और वे लड़कियाँ जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, इन सबके लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्या को सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा–

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। अच्छे शिक्षाक्रम द्वारा बच्चों में चेतन रूप से कर्मशीलता के और करुणाशील सामाजिक संस्कृति के संस्कार डाले जाएंगे।

शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी। आजकल कुशल कर्मचारियों की माँग और आपूर्ति में जो असंतुलन है वह समाप्त होगा और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा, जो इस समय बिना किसी विशेष रूचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जाते हैं। नव साक्षर लोगों, प्राथमिक शिक्षा पूरी किए हुए युवाओं, स्कूल छोड़कर जाने वालों और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के लिये भी अनौपचारिक लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बात के लिये कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकत्तर को या तो नौकरी मिले या वे अपना रोजगार स्वयं कर सकें।

उच्च शिक्षा–

उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सकें। राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन और उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने हेतु शिक्षा परिषदें बनाई जाएंगी। शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जाएंगे। दृश्य–श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षाक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास पर और अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिये अधिक सहायता दी जायेगी और उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिय कदम उठाये जाएंगे।

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा–

तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरम्भ में जिस प्रकार की परिस्थिति की संभावना है, उसे ध्यान में रखना होगा। वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतत् शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संगणक–साक्षरता (Computer literacy) के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यक्रम विकास आदि के लिये अनेक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस माँग को पूरा करने के लिये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा को कारगर बनाने के लिये शिक्षकों को बहुमुखी भूमिकाएँ निभानी होगी, यथा– शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा संस्था के प्रबन्ध में हाथ बंटाना। संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी जायेगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

नवाचार, शोध और विकास– सभी उच्च तकनीकी संस्थाएँ शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जाएंगी। विकास के लिए शोध कार्य, मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार, नई देशज प्रौद्योगिकी का ईजाद तथा उत्पादन और उत्पादकता की जरूरतों को पूरा करने से सम्बन्धित होगा। नये आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

प्रबन्ध कार्यकलाप और परिवर्तन– व्यावसायिक संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकें। शिक्षा मानकों को बनाये रखने तथा अन्य अनेक माकूल कारणों को ध्यान में रखकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जाएगा।

खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन–

उच्च शिक्षा हेतु अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से 'खुले विश्वविद्यालय' (Open University) की प्रणाली शुरू की गई है। इन उद्देश्यों के लिये वर्ष 1985 में स्थापित 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय' (Indira Gandhi National Open University : IGNOU) को सुदृढ़ किया जाएगा।

उपाधि को नौकरी से अलग करना–

कुछ चुने हुये क्षेत्रों में उपाधि (Degree) को नौकरी से अलग करने के लिये कदम उठाये जाएंगे। उपाधि को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी, जिनमें विश्वविद्यालय की उपाधि का महत्त्व ही सब कुछ ना हो, बल्कि विशेषज्ञता को तरजीह मिले।

शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना–

देश ने शिक्षा व्यवस्था में असीम विश्वास रखा है और लोगों को यह अधिकार है कि वे इस व्यवस्था से ठोस परिणामों की आशा करें। सबसे पहला काम तो इस तंत्र को सक्रिय बनाना है। शिक्षा–संस्थाओं तथा अध्यापकों को अधिक सुविधाएँ दी जाएं और साथ ही अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। विद्यार्थियों के सही आचरण पर बल दिया जाए। शिक्षा–संस्थाओं के कार्य के मूल्याँकन की पद्धति का सृजन हो।

शिक्षा की विषय–वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना–

आधुनिक तकनीकी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल से ही कट जाए। अतः शिक्षा की पाठ्यचर्या (Curriculum) और प्रक्रियाओं (Processes) को सांस्कृतिक विषय–वस्तु के समावेश द्वारा अधिकाधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा। सांस्कृतिक परम्परा को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए परम्परागत तरीकों से पढ़ाने वाले गुरुओं और उस्तादों की सहायता की जाएगी।

मूल्यों की शिक्षा–

शिक्षाक्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन बन सके। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहु–आयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनीन और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जा सकें।

पुस्तकें और पुस्तकालय–

जन–शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रावधान किया जाएगा।

संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी–

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थाई मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा, जो प्रासंगिक हों और सांस्कृतिक रूप से संगत हों। रेडियो और दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों को बन्द किया जाएगा, जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं। बच्चों के लिए उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लिए सक्रिय अभियान चलाया जाएगा।

शिक्षा और पर्यावरण–

पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है। यह विषय विद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा का अंग होना चाहिए।

गणित शिक्षण–

गणित शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों के साथ जुड़ सके। गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढ़ंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है।

विज्ञान शिक्षा–

विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुगतता, प्रश्न करने का साहस और सौंदर्यबोध जैसी योग्यताएँ और मूल्य विकसित हो सकें।

खेल और शारीरिक शिक्षा–

खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा। इसके तहत् खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा।

युवा वर्ग की भूमिका–

शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme : NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps : NCC) आदि जो योजनाएँ चल रही हैं, उनमें से किसी एक में भाग लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

मूल्यॉंकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार–

एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिए। परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा, जिससे कि मूल्यॉंकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके। अंकों के स्थान पर "ग्रेड" का प्रयोग होगा। शिक्षा में रटाई पर जोर को हटाना होगा। शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधि में सुधार होगा। परीक्षाओं के आयोजन में भी सुधार होगा। संस्थागत मूल्यॉंकन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाएगा।

शिक्षक–

कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए, जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और सम्प्रेषण की उपयुक्त विधियाँ और अपने समुदाय की समस्याओं एवं क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें।

अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति–निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्त्व के अनुरूप हों। अध्यापकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति–निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशक सिद्धांत बनाए जाएंगे। अध्यापकों की जवाबदेही के मानक तय किए जाएंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित और निष्क्रियता को निरुत्साहित किया जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी।

अध्यापकों की शिक्षा–

अध्यापकों की शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और इसके सेवापूर्व एवं सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (District Institute for Education and Training : DIET) स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। माध्यमिक अध्यापक–प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा, ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में कार्य कर सकें।

शिक्षा का प्रबन्ध–

शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस सम्बन्ध में लोक–भागीदारी को प्रधानता देना, शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना, शिक्षा प्रबन्ध में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल करना और प्रदत्त उद्देश्यों के सम्बन्ध में जवाबदेही के सिद्धान्त की स्थापना करना आदि सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' (Central Advisory Board of Education : CABE) शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन सम्बन्धी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। भारतीय शिक्षा सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन का प्रयास किया जाएगा। शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाध्यक्षों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राज्य स्तर पर राज्य सरकारें 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की तरह के 'राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड' स्थापित करेंगी। जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी।

संसाधन–

जिस हद तक सम्भव होगा, इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे– चंदा इकट्ठा करना, इमारतों का रख–रखाव तथा रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना।

शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिये पूँजी लगाने का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना जाएगा। शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे–धीरे बढ़ाया जाएगा।

समीक्षा–

नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्षों में अवश्य ही की जाएगी।

भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना सम्भव नहीं। फिर भी, इसमें किसी तरह का शक नहीं कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे।

जवाहर नवोदय विद्यालय

जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना सन् 1985 में राजीव गांधी द्वारा की गई। यह विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णत आवासीय, सहशिक्षा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बालक–बालिकाओं को शिक्षा के लिए उत्तम परिवेश उपलब्ध कराना है।

सूचना एवं संचार क्रान्ति

जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला आया है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम हासिल हो गये हैं जो हमें जीवन में सभी सुविधाएँ एवं आराम प्रदान करते हैं। संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिनके चलते हमने आज अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएँ प्राप्त कर ली हैं जो हमें आधुनिकता के दौर से काफी ऊपर लाकर खड़ा करती हैं। बिजली, सड़क, पानी आदि की तरह दूरसंचार सुविधा एक आधारभूत सुविधा के रूप में विकसित हुई है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी, लम्बी दूरी का संचार बहुत आसान हुआ है।

दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहतम तंत्र है। आधुनिक संचार के साधनों में प्रमुखतः टेलिफोन, इन्टरनेट एवं मोबाइल सेवाएँ हैं।

भारत में सूचना क्रान्ति का श्रेय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी को जाता है। उड़ीसा में जन्में सैम पित्रोदा भौतिकी में स्नातकोत्तर के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए शिकागो (अमेरिका) के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Illinois Institute of Technology) चले गए। साठ और सत्तर के दशक में पित्रोदा दूरसंचार और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करते रहे। अस्सी के दशक में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने पित्रोदा को भारत आकर अपनी सेवाएँ देने का न्यौता दिया। भारत लौटने के पश्चात् उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में, स्वायत्त रूप से अनुसंधान और विकास के लिए 'सी–डॉट' (C-DOT) अर्थात् 'टेलिमेटिक्स के विकास के लिए केन्द्र' (Center for Development of Telematics) की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार की हैसियत से दूरसंचार नीति को नई दिशा देने का काम किया। भारत में सूचना क्रान्ति के अग्रदूत सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) माने जाते हैं।

विगत वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलिफोन नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्ष 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, जिसने मांग पर टेलिफोन की उपलब्धता एवं उपयुक्त दरों पर उत्कृष्ट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की, घोषित की गई तथा जिसके तहत् 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India : TRAI) की स्थापना की गई। नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 में की गई थी, जिसने देश में दूरसंचार क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय मूलभूत ढाँचे के विकास को सम्भव बनाने और इस क्षेत्र के विकास हेतु एक खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का प्राथमिक उद्‌देश्य देशभर में कम कीमतों पर भरोसेमंद और सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। यह नीति समानता और सर्वांगीणता को बढ़ाने के साथ–साथ इन सेवाओं की, राष्ट्रीय विकास में बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है।

'सी–डॉट' (C-DOT) भारत सरकार का दूरसंचार तकनीक विकास केन्द्र है, जिसकी स्थापना अगस्त, 1984 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इसे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने का पूरा अधिकार दिया गया था। महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (Mahanagar Telephone Nigam Limited : MTNL) की स्थापना 1986 में भारत के मुख्य मेट्रो शहरों, दिल्ली और मुम्बई में उच्चस्तरीय दूरसंचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited : BSNL) की स्थापना 2000 ई. में वायरलैस, सीडीएमए वायरलैस, जीएसएम वायरलैस, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वीसैट आदि सेवाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को, एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएँ लेते हुए, अपना वर्तमान नम्बर रखने की सुविधा मिलती है। स्पेक्ट्रम प्रबन्धन ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं का समावेश है जो रेडियो संचार सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है। इसीलिए स्पेक्ट्रम प्रबन्धन में प्रभावी और सावधानीपूर्वक तरीके से तथा राष्ट्रीय हितों के साथ बिना कोई समझौता किए स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचे। आधुनिक तकनीकों, 3जी और 4जी नेटवर्क की बढ़ती लोकप्रियता तथा ब्रॉडबैंड व वायरलैस सेवाओं के मद्‌देनजर सक्षम दूरसंचार उपकरणों की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इस मांग के मद्‌देनजर सरकार और नीति–निर्माताओं का पूरा ध्यान अब घरेलू उत्पादन उद्योग को विकसित करने पर है।

टेलिविजन एक दूरसंचार माध्यम है जिसका उपयोग ध्वनि के साथ चलती हुई छवियों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। समाचार, मनोरंजन एवं विज्ञापन के लिए टेलिविजन एक व्यापक माध्यम है। सेटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट–टू–होम (Direct-to-Home : DTH) टेलिविजन, एक नई तकनीक है, जो हमारे टी.वी. देखने के ढंग में परिवर्तन ले आई है। इस सेटेलाइट आधारित तकनीक का अभिप्राय उस डिजिटल रूप से तेज एवं क्रिस्टल रहित टी.वी. से है जिसे हमारे घरों में सीधे भेजा जाता है तथा जिसमें कार्यक्रमों का चयन करने एवं उसे चलाने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं। डिश टी.वी. (Dish TV) भारत की प्रथम व्यावसायिक डी.टी.एच. सेवा थी।

संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है, जिसका अविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल (Alexander Graham Bell) ने किया। इसकी सहायता से अलग–अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात करते हुए सूचनाओं का आदान–प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में एस.टी.डी. (Subscriber Trunk Dialling) एवं आई.एस.डी. (International Subscriber Dialling) सेवाओं के आ जाने से देश एवं विदेश में सीधे ही नम्बर डायल कर व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। एस.टी.डी. एवं आई.एस.डी. सेवाओं में शहरों एवं देशों

के अंकीय कोड निर्धारित हैं, जिन्हें टेलीफोन नम्बर के पहले डायल कर सीधे ही बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती है।

संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाओं के अविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रान्ति आ गई है। मोबाइल सेवाओं से मोबाइल फोन सेवा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधे ही बात की जा सकती है। मोबाइल सेवाओं द्वारा तीव्र गति की इन्टरनेट सेवाएँ 3जी (3rd Generation) एवं 4जी (4th Generation) उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा विडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन ने भी संचार सेवाओं को आसान एवं तीव्र बना दिया है तथा दिन–प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है।

इंटरनेट (Internet) का अर्थ है 'परस्पर जुड़ा हुआ जाल–तंत्र' (Interconnected Network), जिसमें सूचनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय महाजाल कम्प्यूटरों के माध्यम से एक–दूसरे को उपलब्ध होते हैं। इसे 'सूचना राजपथ' भी कहा जाता है।

इंटरनेट कम्प्यूटरों का वह मुक्त संयोजन है जिसमें कम्प्यूटर का उपयोगकर्त्ता, स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाता से टेलीफोन द्वारा जुड़ जाता है। इसके बाद इंटरनेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर की सहायता से लोग अपने इच्छित सर्वर का पता कम्प्यूटर में भरते हैं। सर्वर में मौजूद सूचनाएँ कम्प्यूटर के स्क्रीन पर आ जाती हैं। 1970 के दशक में 'ई–मेल' (Electronic mail : e-mail) की शुरूआत ने संचार जगत में क्रान्ति की शुरूआत की। ई–मेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन (Raymond Samuel Tomlinson) ने किया। ई–मेल की सहायता से कोई भी सूचना कुछ ही सैकण्ड में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। ई–मेल के द्वारा संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। इंटरनेट की सहायता से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (Video Conferencing : VC) भी की जाती है, जो कम खर्चीली है तथा समय की बचत करती है। इसके द्वारा देश–विदेश के अलग–अलग जगह बैठे कई व्यक्ति श्रव्य–दृश्य के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चित्र एवं चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी एवं शीघ्रता से भेजे एवं देखे जा सकते हैं।

संचार तकनीक समस्त विश्व के लोगों को एक–दूसरे से सम्पर्क करने, सूचनाओं तक तीव्र एवं शीघ्र पहुँच बनाने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के साथ वार्तालाप एवं सम्बन्ध स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। सूचना एवं संचार तकनीक मानवीय जीवन के समस्त पहलुओं पर स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है। वर्तमान समय में संचार का मुख्य रूप दूरसंचार है। दूरसंचार से तात्पर्य विद्युत चुम्बकीय माध्यमों द्वारा सूचना के सम्प्रेषण से है।

लोक सेवा प्रदायन की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार समिति ने राज्य और नागरिकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में 'ई–गवर्नेंस' (Electronic governance : e-governance) के उपयोग की सिफारिश की। कालान्तर में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा संकल्पित राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना का उद्देश्य नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न लोक सेवाओं की डिलीवरी में गति, विश्वसनीयता, सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाना है।

सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा शुरू 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' (Digital India Programme) के माध्यम से देश भर में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा। आशा की जाती है कि डिजिटल

इंडिया कार्यक्रम लागू हो जाने से लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों की भाग–दौड़, अधिकारियों से सम्पर्क करने आदि में आने वाली मुश्किलें दूर होंगी। सूचनाओं का आदान–प्रदान सुगम होगा। भारत सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी। प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी मिटेगी। स्कूली बच्चों को अकारण पुस्तकों के बोझ तले नहीं दबना पड़ेगा। वे मोबाइल, लैपटॉप और टैब आदि के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा प्राप्त करना, जीवनभर अच्छी शिक्षा देने का प्रभावी साधन है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में ई–लर्निंग को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इनके परिणामस्वरूप डिजिटल सामग्री को पहुँचाने और प्रबन्धन के लिए सस्ती तकनीकों और साधनों का विकास हुआ है। केन्द्र सरकार डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएँ देना चाहती है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य अत्यंत व्यापक हैं। यदि यह कार्यक्रम सफल हो गया तो निस्संदेह विकासशील भारत विकसित देशों के अधिक निकट पहुँच जाएगा।

विश्वनाथ प्रताप सिंह

सन् 1989 के आम चुनावों के बाद राष्ट्रीय मोर्चा के नेता और पूर्व कॉंग्रेसी विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के आठवें प्रधानमन्त्री बने। अपने 11 माह के अल्पकालिक कार्यकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का फैसला लिया।

मंडल आयोग की कहानी

आजादी के समय ज्यादातर जायदाद जमींदारों के पास थी और ज्यादातर जमींदार ऊंची जाति से थे। दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी, 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसने लगभग दो साल के बाद 30 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो प्रभावहीन रही ।

मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार ने 20 दिसंबर, 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की। जिसे मंडल आयोग के नाम से पुकारा गया। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा। आयोग ने मालूम किया कि देश में कुल 3,743 पिछड़ी जातियां हैं। इस आयोग ने 12 दिसंबर, 1980 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया किन्तु तब तक मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो चुका था।

मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशे

मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश थी।

जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया जाये क्योंकि पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन जमींदारी प्रथा थी।

सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन को न केवल अनुसूचित जाति–जनजाति (SC&ST) को दिया जाये बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी इसमें शामिल किया जाये।

केंद्र और राज्य सरकारों में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अलग मंत्रालय/विभाग बनाये जाये।

केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू किया जाये।

OBC की आबादी वाले क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा केंद्र तथा पिछड़ें वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाए. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दी जाये।

जब वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को कुछ बदलाव के साथ लागू किया, जिसका जमकर विरोध भी हुआ। मंडल आयोग की अधिसूचना 13 अगस्त, 1990 को जारी हुई। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्जवल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी।

पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव

नरसिम्हा राव भारत के नौंवे प्रधानमंत्री (1991–1996) थे। इनको भारत में कई आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलेपन की शुरूआत हुई। उन्होंने तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की। इसी कारण उन्हें आर्थिक सुधारों का पिता माना जाता है। उन्होंने न केवल 1991 की आर्थिक मंदी से भारत को उबारा बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह से समाप्त किया, विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले और भारत के परमाणु कार्यक्रम को गति प्रदान की। उनके आर्थिक सुधारों की नीति को बाद वाली सरकारों ने भी जारी रखा।

नरसिम्हा राव के साथ मनमोहन सिंह

इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को गति मिली जिसके परिणामस्वरूप सन् 1998 में वाजपेयी सरकार परमाणु परीक्षण करने में सफल रही। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखते हुए देश की सैन्य ताकत में वृद्धि की और पंजाब में आतंकवाद का सफाया भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं का सामना प्रभावशाली तरीके से किया। विदेश नीति से संबंधित विस्तृत जानकारी विदेश नीति के अध्याय में दी जायेगी।

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

उदारीकरण की संकल्पना की शुरूआत तो 1980 के दशक में राजीव गाँधी के शासनकाल में ही हो गयी थी। उस समय बहुत से उद्योग–धन्धों तथा व्यापार पर प्रतिबन्ध समाप्त होने शुरू हो गये थे। मगर वास्तव में उदारीकरण की असली शुरूआत 1990 के दशक से मानी जाती है। उन्होंने न केवल 1991 की

आर्थिक मंदी से भारत को उबारा बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह से समाप्त किया। विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले और भारत के परमाणु कार्यक्रमों को गति भी प्रदान की। इसमें भारत के आर्थिक ढांचे में सुधार हेतु कई सराहनीय कदम उठाये गये।

उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने के प्रयास किया जाते हैं जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबन्धों को कम करना जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। उदारीकरण ने व्यापारिक दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया है और सभी देशों के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान किए हैं। उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का परिणाम है जो 'लाइसेंस प्रणाली' को समाप्त कर देता है।

विदेशी प्रौद्योगिकी, पूँजी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्रों में कार्य कर अपनी रुग्णता को ठीक करने का मौका दिया तथा सरकारी भागीदारी को वित्तीय संस्थानों, श्रमिकों एवं जनता तक विस्तृत किया गया। आयातित वस्तुओं में छूट दी गई, निर्यात की वस्तुओं को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। इन निर्णयों से कुछ अच्छे परिणाम सामने आए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था से भिन्न, पूँजीवादी निजीकरण उन्मुखी, देशी और विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर विकसित हुई है ।

आजादी के बाद 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू के लिए मजबूर कर दिया था। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया सके। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया था, जिससे कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू किया गया।

उदारीकरण ने प्रत्येक सेक्टर में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है चाहे वह कृषि, उद्योग और सेवाएँ हो या फिर दवा उद्योग या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग हो। इन सभी सेक्टरों में सुधार ने अधिकाधिक रोजगार के अवसर दिए हैं। अगर सन् 1991 के पहले और बाद की तुलना की जाए तो यह बात स्पष्ट नजर आती है कि उदारीकरण ने गरीबी में कमी की है। जहाँ सन् 2005 में 41.6 प्रतिशत जनसंख्या अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (1.25 $) के नीचे जीवनयापन करती है वहीं सन् 1988 में यह आँकड़ा 59.8 प्रतिशत था।

यह कहना गलत नहीं है कि उदारीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। उनकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की है।

1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य–

सन् 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) का शुभारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

I. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ–साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था।

II. मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना ।

III. आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना ।

IV. आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ–साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिवर्तिन करना था।

V. प्रतिबंधों को हटाकर, माल, सेवाओं, पूँजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना था।

VI. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। यही कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है।

सन् 1991 के मध्य की शुरूआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किये ताकि अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके।

नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्द्धी माहौल का निर्माण करने के साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना था।

नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए–

(I) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण–

उदारीकरण नीति के तहत् सभी वाणिज्यिक बैंक ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी ।

(II) लघु उद्योग (एसएसआई) के लिए निवेश सीमा में वृद्धि–

लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गयी है, जिससे ये कंपनियों अपनी मशीनरी को उन्नत बनाने के साथ अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सकते हैं।

(III) सामान आयात करने के लिए पूँजीगत स्वतंत्रता–

भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(IV) उद्योगों के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता–

इस नए उदारीकृत युग में अब उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी। कोई भी उद्योग इस सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था। अब उद्योग बाजार की आवश्यकता के आधार पर स्वयं अपने उत्पादन के बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(V) प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन–

एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा (एमआरटीपी) अधिनियम–1969 के अनुसार, वो सभी कंपनियाँ जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, को एमआरटीपी कंपनियाँ कहा जाता था, इसी कारण पहले उन पर कई प्रतिबंध भी थे, लेकिन अब इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कावेरी नदी जल विवाद

कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के जल पर चार राज्यों के करोड़ों लोग निर्भर हैं। इसके पानी को लेकर राज्यों के बीच सालों से विवाद चला आ रहा है। कावेरी नदी जल विवाद पर पेचिदगियों की शुरूआत सन् 1892 और सन् 1924 को हुए समझौतों की वजह से हुई जो कि मैसूर के राजपरिवार और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद केन्द्र सरकार ने सन् 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्युनल का गठन किया। ट्रिब्यूनल ने सन् 2007 में इस मामले में अपना आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में तमिलनाडु को 419 टीमएसी फुट, कर्नाटक को 270 टीमएसी फुट, केरल को 30 टीएमसी फुट और पुदुचेरी को 7 टीएमसी फुट जल का आवंटन किया था।

सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी, 2018 के एक निर्णय के तहत् तमिलनाडु हेतु 404.25 टीएमसी फुट, कर्नाटक हेतु 284.75 टीएमसी फुट, केरल हेतु 30 टीएमसी फुट और पुदुचेरी हेतु 7 टीएमसी फुट पानी के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

अटल बिहारी वाजपेयी

16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमन्त्री बने, लेकिन 13 दिनों के पश्चात ही उनकी सरकार गिर गई. उनके बाद अल्पकाल के लिए संयुक्त मोर्चे की सरकार गठित हुई, जिसमें क्रमशः एच. डी. देवेगौडा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने. अपने अल्प काल के समय में इंद्र कुमार गुजराल सरकार ने विदेश नीति के क्षेत्र में केवल गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका उद्देश्य पडौसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करना था. 19 मार्च 1998 को पुनः वाजपेयी प्रधानमन्त्री बने और 1999 में आयोजित आम चुनावों में विजय प्राप्त करने के बाद वे 22 मार्च 2004 तक भारत के प्रधानमन्त्री रहे. वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया. इस काल में भारत ने पोकरण 2 परमाणु परीक्षण के द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष अपनी पहचान बनाई, वहीं निजी क्षेत्रों और विदेशी निवेश

को प्रोत्साहित किया गया. वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की व्यापक योजनाओं को गति प्रदान की, सन 2001 में भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारम्भ हुआ. उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए सर्व शिक्षा अभियान को भी क्रियान्वित किया. इसी काल में वाजपेयी के नेतृत्व में विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ रचनात्मक सम्बन्धों को स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाये गए।

ऑपरेशन शक्ति

भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान सन् 1998 में तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 11 और 13 मई, 1998 को पोकरण में तीन परमाणु परीक्षण होने से सारे विश्व में तहलका मच गया था। 'पोकरण–II (Pokhran-II) के नाम से प्रसिद्ध इस ऑपरेशन का कूटनाम 'ऑपरेशन शक्ति' था, जिसका नेतृत्व डॉ. आर. चिदम्बरम् (Dr. R. Chidambram) ने किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नया नारा दिया "जय जवान–जय किसान– जय विज्ञान"। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बताना था कि भारत पड़ोसी देशों की सामरिक योग्यता का मुँहतोड़ जवाब देने में समर्थ है। अपनी सुरक्षा और बचाव करने के लिए वे आत्मनिर्भर हैं। भारत की परमाणु नीति में सैद्धान्तिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिये परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन वह हथियारों का 'पहले प्रयोग नहीं' नीति पर कायम रहेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभावहीन परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो।

अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण स्थल पर

कारगिल युद्ध

भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल में सन् 1999 में छिड़े युद्ध की शुरूआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश करते हुए जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल जिले में घुस आए। भारत के लिए ये बेहद मुश्किल हालात थे, जब ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने डेरा जमा लिया था, जबकि भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से से जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। पर देश की सीमाओं की सुरक्षा का जुनून व जज्बा कुछ ऐसा था कि तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तानी

कारगिल के रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। (तस्वीर साभार–BCCL)

सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई, 1999 को 'ऑपरेशन विजय' के तहत् विजय पताका फहराई।

देश उन रणबांकुरों का हमेशा ऋणी रहेगा, जिनके शौर्य व बलिदान के कारण देश की सीमाएँ सुरक्षित हो सकी। कारगिल युद्ध के दौरान सभी सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

1. दल–बदल विरोधी कानून का सम्बन्ध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है?

   (अ) 42वाँ संविधान संशोधन–1976

   (ब) 44वाँ संविधान संशोधन–1978

   (स) 52वाँ संविधान संशोधन–1985

   (द) 61वाँ संविधान संशोधन–1989

2. सन् 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम–1988 के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई?

   (अ) 16 वर्ष (ब) 18 वर्ष

   (स) 21 वर्ष (द) 25 वर्ष

3. शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया?

   (अ) 42वाँ संविधान संशोधन–1976

   (ब) 44वाँ संविधान संशोधन–1978

   (स) 52वाँ संविधान संशोधन–1985

   (द) 61वाँ संविधान संशोधन–1989

4. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (IGNOU) कब स्थापित हुआ?

   (अ) 1980 ई. में (ब) 1985 ई. में

   (स) 1990 ई. में (द) 1995 ई. में

5. भारत में सूचना क्रान्ति का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है?

   (अ) सुन्दर पिचाई (ब) सत्य नडेला

   (स) सैम पित्रोदा (द) जॉर्ज कुरियन

6. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India : TRAI) की स्थापना कब की गई?

   (अ) 1994 में (ब) 1997 में

   (स) 1999 में (द) 2002 में

7. ई–मेल (e-mail) का आविष्कार किसने किया?

(अ) रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन (ब) अलेक्जेंडर ग्राहम बेल

(स) चार्ल्स बैबेज (द) टिमोथी जॉन बर्नर्स–ली

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' के बारे में आप क्या जानते हैं?
2. अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है?
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किए गए?
4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के क्या कर्त्तव्य हैं?
5. 'सूचना राजपथ' किसे कहा जाता है?
6. विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (VC) से आप क्या समझते हैं?
7. ई–गवर्नेंस (e-governance) से क्या तात्पर्य है?
8. सी–डॉट (C-DOT) के बारे में आप क्या जानते हैं?
9. पोखरण–II से क्या आशय है?
10. कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1. एक राजनीतिक दल के सदस्य को किसी सदन की सदस्यता के निरर्हक (अयोग्य) किन आधारों पर माना जाता है?
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में प्रारम्भिक शिक्षा और शिशुओं की देखभाल के बारे में क्या प्रावधान हैं?
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में शिक्षा की विषय–वस्तु एवं मूल्यों की शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान हैं?
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के तहत् मूल्यॉंकन प्रक्रिया तथा परीक्षा में सुधार सम्बन्धी सुझावों का विवेचन कीजिए।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में शिक्षक के बारे में क्या प्रावधान हैं?
6. परमाणु हथियारों के सन्दर्भ में भारत की 'पहले प्रयोग नहीं' नीति को स्पष्ट कीजिए।
7. उदारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं?
8. कावेरी नदी जल विवाद पर टिप्पणी कीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के प्रमुख प्रावधानों का सार लिखिए।
2. वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इस नीति के तहत् उठाए गये कदमों की विवेचना कीजिए।